

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

क्र.सं : 178/2021

नवान :

सतवीरसिंह पुत्र रामकुमारसिंह जाति राजपुत निवासी आसन तह0 भादरा।

:- वादी

बनाम

- रामकुमारसिंह पुत्र चन्दरसिंह जाति राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
- भंवरसिंह पुत्र रामकुमारसिंह जाति राजपुत निवासी आसन तहसील भादरा।
- सन्जु पुत्री कृष्णा पुत्री रामकुमारसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।
- मिन्नु पुत्री कृष्णा पुत्री रामकुमारसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।
- रतनसिंह पुत्र कृष्णा पुत्री रामकुमारसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी खोखरान त0 भादरा।
- भारतीय स्टेट बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा डाबडी तहसील भादरा।
- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के मज्ज वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ती तायर की उपस्थिति में नर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 13/15 के बसरा सं0 21 की 5.7030है0, खसरा सं0 63 की 0.1140है0, खसरा सं0 96 की 3.2630है0, बसरा सं0 172 की 3.7050है0 कुल खसरा 4 की 12.7850है0 में से प्रतिवादी सं0 1 रामकुमारसिंह के नाम दर्ज 3.196है0 वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाए वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 3 ता 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी)

(फास्ट ट्रैक) भादरा (लु.रा.ड.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़